उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 154 /2017/670/92-2-17-102जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 21 अगस्त,2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता, ई0एस0आई0सी0, नई दिल्ली (प्रति नियुक्ति पर) वर्तमान में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में समुचित परीक्षण किये बिना ही जांच आख्या शासन में प्रेषित कर जॉच अधिकारी के रूप में अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-44/2016/984/ 92-2-16-102जांच/2015 दिनांक 16-08-2016 द्वारा श्री राम प्रकाश सिंह, तत्कालीन प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-73/2016/ 2044/92-2-16-102जांच/2015 दिनांक 19-11-2016 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को नामित किया गया।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के विरूद्व श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-सहारनपुर के पत्र दिनांक 21-09-2016 द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। श्री सिंह के प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा श्री पी0आर0 राय/आरोपी के विरूद्व लगाये गये आरोपो के संबंध में पठनीय साक्ष्यों के आधार पर स्वविवेकानुसार सकारण विवेचना करते हुये अपना निष्कर्ष दिया गया, जो उनके द्वारा लिया गया विवेकपूर्ण निष्कर्ष है, जिसे स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार शासन/अनुशासनिक प्राधिकारी को है। यह भी उल्लेख किया है कि जिस समय अनुशासनिक प्राधिकारी का उनकी जॉच आख्या में दिये गये निष्कर्षो से असहमत होते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित करते हुये जॉच आख्या देने का निर्देश दिया गया, तत्समय उनकी जॉच आख्या पर समस्त कार्यवाही पूर्ण हो गयी तथा उनकी जॉच आख्या, असहमति का निर्णय लिये जाने के समय ही प्रभावहीन हो गयी। अत: ऐसी निरस्त/प्रभावशून्य जॉच आख्या में दिये गये निष्कर्षो के आधार पर उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गैर न्यायोचित है। श्री सिंह द्वारा प्रत्यावेदन में मा0 न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णय/उद्वरणों, भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के चैप्टर 25 में जांच अधिकारी के संबंध में निर्देशों एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में जांच अधिकारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के संबंध में किसी प्राविधान के न होने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतएव वर्णित स्थिति में श्री सिंह के प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उनके विरूद्व संस्थित जांच उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9 के अनुरूप नही पाई गई। अत: श्री आर0पी0 सिंह के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-44/2016/984/92-2-16-102जांच/2015 दिनांक 16-08-2016 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही एवं जांच अधिकारी नामित किये जाने विषयक समस्त कार्यालय ज्ञाप निरस्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 154/2017/670/(1)/92-2-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।